मीरजापुर पुलिस
प्रेस नोट
दिनांकः 06.04.2024

थाना ड्रमण्डगंज व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चोरी करने वाले गैंग का खुलासा , 02 अभियुक्त गिरफ्तार, करीब 4.5 लाख रूपये के चोरी के आभूषण बरामद-

थाना ड्रमण्डगंज जनपद मीरजापुर पर दिनांकः 14.10.2023 को वादी अनिता तिवारी पत्नी यदुवंश तिवारी द्वारा 02 अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध धोखे से घर में घुसकर आलमारी में रखे आभूषण व नगद पैसा चोरी करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ड्रमण्डगंज पर मु0अ0सं0-75/2023 धारा 380,420 भादवि पंजीकृत की गई। इसी क्रम में दिनांकः 12.02.2024 को वादी परमेश प्रजापति पुत्र स्व0 बबौली द्वारा 01 अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध घर में घुसकर पेटी में रखे आभूषण चोरी करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ड्रमण्डगंज पर मु0अ0सं0-15/2024 धारा 380 भादवि पंजीकृत की गई। इसी क्रम में दिनांकः 02.04.2024 को वादी संजू पाल पुत्र जंगीलाल द्वारा 02 अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध धोखे से आभूषण चोरी करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ड्रमण्डगंज पर मु0अ0सं0-34/2024 धारा 406,420 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'अभिनन्दन' द्वारा चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए घटना का शीघ्र अनावरण व बरामदगी हेतु थानाध्यक्ष ड्रमण्डगंज को निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देश के अनुक्रम में दिनांकः 05.04.2024 को थाना ड्रमण्डगंज व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस बल द्वारा मुखबिर की सूचना , साक्ष्य संकलन व भौतिक/इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों के आधार पर थाना ड्रमण्डगंज क्षेत्रांतर्गत देवहट बरमबाबा मंदिर के पास से प्रकाश में आये 02 अभियुक्त 1- राजकुमार सोनकर पुत्र परमेश्वर प्रसाद सोनकर निवासी स्टेशन रोड़ पुरानी दशमी वार्ड न0- 17 रोडवेज के पीछे थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर , 2. वीरेन्द्र कुमार तिवारी पुत्र विजय शंकर तिवारी निवासी ग्राम झिगुरा थाना पड़री जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया , जिनके कब्जे से चोरी के करीब 4.5 लाख रूपये का आभूषण व चोरी में प्रयोग पल्सर मोटर साइकिल UP 63 AS 2610 बरामद किया गया। सम्बन्धित अभियुक्तों को थाना ड्रमण्डगंज पुलिस द्वारा नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है। घटना में प्रयुक्त पल्सर मोटर साइकिल को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

विवरण पूछताछ- गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम लोगो द्वारा रेकी करके जिन घरों में महिलाएं दिन में अकेली रहती है उन्हें टारगेट करते है। फिर उनको लालच देकर धोखे से घर में रखे गहने व नगदी चुरा लेते है। चोरी किये गहनों को बेचकर प्राप्त धन आपस में बाट लेते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण—

1-राजकुमार सोनकर पुत्र परमेश्वर प्रसाद सोनकर निवासी स्टेशन रोड़ पुरानी दशमी वार्ड न0- 17 रोडवेज के पीछे थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर उम्र करीब 50 वर्ष।

2-वीरेन्द्र कुमार तिवारी पुत्र विजय शंकर तिवारी निवासी ग्राम झिगुरा थाना पड़री जनपद मीरजापुर उम्र करीब 41 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग—

मु0अ0सं0-75/2023 धारा 406,420,411 भादवि थाना ड्रमण्डगंज जनपद मीरजापुर।
मु0अ0सं0-15/2024 धारा 380,411 भादवि थाना ड्रमण्डगंज जनपद मीरजापुर।
मु0अ0सं0-34/2024 धारा 386,452,420,411 भादवि थाना ड्रमण्डगंज जनपद मीरजापुर।

आपराधिक इतिहास –(राजकुमार सोनकर उपरोक्त)

1. मु0अ0सं0- 374/2011 धारा 294,323,354,452 भादवि थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर।
2. मु0अ0सं0- 869/2015 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना हलिया जनपद मीरजापुर।

विवरण बरामदगी—

1- एक अदद हार , दो अदद चेन , तीन अदद अंगुठी , एक अदद मराठी माला , दो अदद कमर पेटी , एक अदद करधनी , एक जोड़ी तोड़ा, दो जोड़ी बिछिया, दो जोड़ी पाजेब, दो जोड़ी पायल, एक अदद चाभी का गुच्छा व 12000 रूपये नगद बरामद।
2- पल्सर मोटर साइकिल UP 63 AS 2610 व 03 अदद मोबाइल फोन बरामद।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम—

उप निरीक्षक अरविन्द सरोज थानाध्यक्ष ड्रमण्डगंज जनपद मीरजापुर मय टीम।

उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह – प्रभारी एसओजी मय पुलिस टीम।

उप निरीक्षक मानवेन्द्र सिंह- प्रभारी सर्विलांस टीम मय पुलिस टीम।